संख्या–394 III–2/04–37 (प्रा0आ0)/04

प्रेषक,

टी.के.पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर–1,
लोक निर्माण विभाग,दे.दून ।

लोक निर्माण अनुभाग–2

देहरादून,दिनांक 16 मार्च , 2005

विषयः– वित्तीय वर्ष 2004–05 में जनपद देहरादून में सर्किट हाउस, नई एनेक्सी परिसर में श्रेणी 1 व 2 के 8–8 आवासों की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति एवं व्यय की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र सं0 957/18 भवन –उत्तरांचल /04 दिनांक 5 नवम्बर ,2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद देहरादून में सर्किट हाऊस नई एनेक्सी परिसर में श्रेणी –1 व 2 के 8–8 आवासों के रू0 44.92 लाख के उपलब्ध कराये गये आगणन पर टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त औचित्य पूर्ण पायी गयी रू0 43.40 लाख (रू0 तैंतालीस लाख चालीस हजार मात्र) की लागत के आगणन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए वर्तमान वित्तीय वर्ष में कुल रू. 6.00 लाख (रू0 छः लाख मात्र) की धनराशि के व्यय की भी श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

2– आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल ऑफ रेट में स्वीकृत नहीं है, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

3– कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृति नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि नहीं किया जाय।

5– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

6– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनूरूप ही कार्य को राम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

7– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांती निरीक्षण उच्चाधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

8– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

क्रमश 2–

9– निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

10. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्वता हेतु संबंधित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे

11– व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल,वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमो तथा अन्य स्थायी आदेशो के अर्न्तगत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व प्रत्येक कार्य के आगणनो/पुनरीक्षित आगणनों पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ–साथ विस्तृत आगणनों पर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति भी प्राप्त कर ली जाय।

12. उक्त स्वीकृति धनराशि का कार्यवार आबंटन का वित्तीय /भौतिक लक्ष्यों का विवरण प्राथमिकता के आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाये ।

13.– स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31–3–05 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगियता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी ।

14– इस संबंध में हाने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–22 लेखाशीर्षक 4059 लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय–80–सामान्य–आयोजनागत–800 अन्य भवन–09–लोक निर्माण (नयेकार्य) –00–24 वृहद्व निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

13– यह आदेश वित्त विभाग के अ0श0सं0– 731/वित्त अनुभाग–3/04, दिनांक 11 मार्च ,2005 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(टी0के0पन्त)
संयुक्त सचिव

संख्या–394/ III(2)/04–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तराचल,इलाहाबाद / देहरादून ।
2– आयुक्त गढवाल मंडल, पौडी ।
3– जिलाधिकारी/ वरिष्ठ कोषाधिकरी , देहरादून ।
4– मुख्य अभियन्ता , गढवाल क्षेत्र,लो0नि0वि0, पौडी ।
5– श्री एल0एम0पन्त अपर सचिव वित्त(बजट) अनुभाग उत्तरांचल।
6– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र,उत्तरांचल।
7– निजी सचिव, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी उत्तरांचल।
8– वित्त अनुभाग–3/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ उत्तरांचल शासन।
9– लोक निर्माण अनुभाग–1/3 उत्तरांचल शासन
10– गार्ड बुक ।

आज्ञा से

(टी0के0 पन्त)
संयुक्त सचिव ।

rakesh joshi - Go mw 280